HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Revision Petition No. 272/2024

1. Rajbala Devi W/o Shri Sahiram, Aged About 53 Years, R/o Khatankheda, Tehsil Behrod, District Alwar (Rajasthan)
2. Suman Devi W/o Shri Shubhram, Aged About 45 Years, R/o Khatankheda, Tehsil Behrod, District Alwar (Rajasthan)

----Petitioners/Defendant no. 1&2

Versus

1. Mahendra Singh Adopted S/o Late Smt. Sarbati Devi, R/o Khatankheda, Tehsil Behrod, District Alwar (Rajasthan)

----Respondent/Plaintiff

2. Sub-Registrar, Behrod, Tehsil Behrod, District Alwar (Rajasthan)
3. Punjab National Bank, Branch Gandala, Tehsil Behrod, District Alwar (Rajasthan)

----Performa Respondent/ Defendant no. 3&4

For Petitioner(s)	:	Mr. Hoshiyar Singh Arya
For Respondent(s)	:	Ms. Supriya Saxena

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

07/05/2026

निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 बहरोड़, अलवर द्वारा महेंद्र बनाम राजबाला एवं अन्य सिविल प्रकरण संख्या 34/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2024 से व्यथित होकर प्रस्तुत की, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया है।

उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रत्यर्थी/वादी महेंद्र सिंह द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इस्तकार हक़ एवं निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण द्वारा मृतका सरस्वती देवी को धोखे में रखकर अपने पक्ष में निष्पादित किये गए दानपत्र को निरस्त करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रत्यर्थी/वादी महेंद्र सिंह का वाद पात्र खारिज किये जाने का प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण के द्वारा यह आधार लिया गया कि प्रत्यर्थी/वादी महेंद्र सिंह मृतका सरस्वती देवी का दत्तक पुत्र नहीं है तथा वह विवादित दानपत्र को निरस्त कराने का अधिकारी नहीं है। निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण के द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि वाद उचित न्याय शुल्क के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनकर दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश में यह अभिमत व्यक्त किया गया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आवेदन के निस्तारण हेतु केवल वादपत्र में वर्णित कथनों का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा स्वयं को मृतका सरस्वती देवी का दत्तक पुत्र बताते हुए विवादित दानपत्र को निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण के द्वारा छल एवं कपटपूर्वक अपने पक्ष में निष्पादित कराया जाना अभिकथित किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न कि क्या वादी वास्तव में मृतका सरस्वती देवी का दत्तक पुत्र है अथवा नहीं तथा उसे दानपत्र निरस्त कराने का अधिकार प्राप्त है या नहीं यह तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है, जिसका निर्णय विवाद्यक कायम कर उभयपक्षों के साक्ष्य के उपरांत ही किया जा सकता है। जहां तक प्रश्न उक्त वाद पर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा करने का है, इस सन्दर्भ में भी विद्वान विचरण न्यायलय द्वारा यह कहा गया है कि इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी का वाद न्यायशुल्क अधिनियम में धारा 24 (बी) के अंतर्गत नहीं

होगा। मेरे विचार से उक्त दोनों बिंदु जिनके संबंध में निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया है, उन बिंदुओं के संबंध में पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय विवाद्यक विरचित कर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विरचित किये गए विवाद्यको को निर्णित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

अतः ऐसी स्थिति में यह निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता इस आदेश के साथ निस्तारित की जाती है कि विद्वान विचारण न्यायालय निगरानीकर्तागण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता में अंकित बिंदुओं के संबंध में पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यकों की विरचना कर विधिनुसार उन्हें निर्णीत करें।

तद्नुरूप उक्त निगरानी याचिका निस्तारित की जाती है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /80